

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र./0015/अ-82/2019-20/6273

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **डोंगरपुर** तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा **1.678** हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम **डोंगरपुर** प.ह.न 14 रा.नि. वृत्त 02 में उक्त परियोजना के लिये **1.678** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	178	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.237	चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. बिलमुक्ता 13.56
2	179	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.140	चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. बिलमुक्ता 13.56
3	182	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.017	केदार पुत्र सुगन जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. बिलमुक्ता 10.22
4	191	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.485	नरस मुकेश मनमोहन पुत्रगण गोपाल कमली मीरा पुत्रिया गोपाल जाति गूजर पाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा. 3.75
5	193/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि		राजपाल सिंह हपुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. शा. 43/2

6	193/2	भूमि स्वामी		0.208	राजपाल सिंहपुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. शा. 5.40
7	193/3	भूमि स्वामी			माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 5.40
8	193/4 मि 1	भूमि स्वामी			माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.80
9	193/4 मि 2	भूमि स्वामी			नरेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 4.00
10	193/5	भूमि स्वामी			माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 5.40
11	193/6	भूमि स्वामी			शिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 5.40
12	194/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.103	शिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 193/6
13	194/2	भूमि स्वामी			सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 4.10
14	194/3	भूमि स्वामी			माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 3.30
15	196	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.268	जगदीश पुत्र रतन लाल जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. 9.38
16	197	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.007	अमरलाल श्रीमपति पुत्रगण बुद्धा जाति रावत निवासी जावरोज पर सबलगढ़ समान भाग भूमि स्वामी भूराज. 9.37
17	198	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.190	उम्मेद बाबू सरेश पुत्रगण रघुनंदन जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुर 3/4 भाग भूमि स्वामी लोगो बेवा रामलखन मुकेश राजू विनोद पुत्रगण रामलखन नि. रघुनाथपुर जाति रावत 1/4 भाग भूमि स्वामी भूराज. 8.96

लालपदर

18	199	भूमि स्वामी	0.023	महेश मांखन सूरज राजेन्द्र पुत्रगण फूलचंद जाति वैश्य पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी रामवती भगवती विद्याबाई पुत्रियां फूलचंद जाति वैश्य पता निवासी रघुनाथपुर समान भाग भूमि स्वामी भूराज. 17.93
			1.678	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान: श्योपुर

तारीख - 8/8/2019




(बसंत कुरें)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क्र./0015/अ-82/भू-अर्जन/2019-20/6274
प्रतिलिपि-

श्योपुर दिनांक 08/08/2019

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु ।


कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)